सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2023 / 348 दर्ज तिथिः—04.10.2023

1. नारणाराम पुत्र मांगाराम जाति कलबी निवासी सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी
2. सोहनलाल पुत्र रूपाराम जाति रैबारी निवासी सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी
3. हुक्माराम पुत्र दमाराम जाति सुथार निवासी तेजियावास तहसील गुड़ामालानी

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. कृष्णराम पुत्र राजूराम जाति सुथार निवासी धोलीनाडी
2. किशनाराम पुत्र गोरखाराम
3. खेराजराम पुत्र गोरखाराम
4. मोहनलाल पुत्र गोरखाराम
   समस्त जाति सुथार निवासी तेजियावास तहसील गुड़ामालानी—बाड़मेर

.........................असल विप्रार्थीगण

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी—बाड़मेर।

..........................तकमीली विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः—श्री जोगाराम पोटलिया

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—12.08.2024

प्रार्थना—पत्र

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी संख्या 03 व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 139 / 80 / 1.8454 है. वाके ग्राम तेजियावास में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी संख्या 03 का 2 / 3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 का 1 / 3 हिस्सा था। उक्त संयुक्त आराजी का विप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.12 20:16:45 IST
Reason: SelfAttested

01 ने माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी में विभाजन हेतु वाद संख्या 91/2022 उनवान हुक्माराम बनाम किशनाराम व अन्य प्रस्तुत किया। उक्त राजस्व वाद का निर्णय प्रार्थी संख्या 03 व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 के मध्य विभाजन हेतु आपसी सहमति के नजरी नक्शे परिशिष्ठ—अ के आधार पर दिनांक 17.07.2023 को निर्णय किया जाकर डिक्री पारित की गई। उक्त विभाजन डिक्री के आधार पर नामांतरकरण संख्या 493 दिनांक 24.07.2023 को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया गया। विभाजन हेतु आपसी सहमति के नजरी नक्शे परिशिष्ठ—अ के आधार पर प्रार्थी संख्या 03 को विभाजन पश्चात् आवंटित खसरा संख्या 189/139/1.2303 है. की तरमीम हाईवे पर 270 फीट लम्बाई में करनी थी तथा हाईवे पर शेष लम्बाई में तरमीम करते हुए अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 को विभाजन पश्चात् आवंटित खसरा 190/139/0.6151 है. का अमलदरामद किया जाना था। परंतु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त डिक्री दिनांक 17.07.2023 की तरमीम नामांतरकरण संख्या 493 दिनांक 24.07.2023 में विभाजन हेतु आपसी सहमति नजरी नक्शे परिशिष्ठ—अ के पर आधार पर नहीं की गई। विभाजन हेतु आपसी सहमति के नजरी नक्शे परिशिष्ठ—अ के आधार पर प्रार्थी संख्या 03 को विभाजन पश्चात् आवंटित खसरा संख्या 189/139/1.2303 है. की तरमीम हाईवे पर 270 फीट लम्बाई में नहीं कर कम लम्बाई में तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 को हाईवे पर विभाजन हेतु आपसी सहमति के नजरी नक्शे परिशिष्ठ—अ के विपरीत अधिक लम्बाई में तरमीम कर दी। जिससे मौके व रिकॉर्ड की भिन्नता आ गई।

2. प्रार्थी संख्या 03 द्वारा विभाजन डिक्री के आधार पर नामांतरकरण संख्या 493 दिनांक 24.07.2023 को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद पश्चात् आवंटित खसरा संख्या 189/139/1.2303 है. में से प्रार्थी संख्या 01 को 0.5854 है. भूमि का जरीये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान किया गया। इस बाबत् प्रार्थी संख्या 01 को खसरा संख्या 192/139/0.5854 है. आवंटित किया गया। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 03 द्वारा विभाजन डिक्री के आधार पर नामांतरकरण संख्या 493 दिनांक 24.07.2023 को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद पश्चात् आवंटित खसरा संख्या 189/139/1.2303 है. में से अप्रार्थी संख्या 02 को 0.4042 है. भूमि का जरीये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान किया गया। इस बाबत् अप्रार्थी संख्या 02 को खसरा संख्या 193/139/0.4042 है. आवंटित किया गया। अंत में विभाजन हेतु आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी संख्या 03 को विभाजन पश्चात् आवंटित खसरा संख्या 189/139/1.2303 है. की तरमीम हाईवे पर 270 फीट लम्बाई में तथा हाईवे पर शेष लम्बाई में अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 को विभाजन पश्चात् आवंटित खसरा 190/139/0.6151 है. की तरमीम मुताबिक विभाजन हेतु आपसी सहमति के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जवाब

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थीगण द्वारा पत्रावली पर जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि विभाजन डिक्री के आधार पर नामांतरकरण संख्या 493 दिनांक 24.07.2023 को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद सही किया गया है। उक्त अमलदरामद के पश्चात् दिनांक 24.07.2024 को 02 बेचाननामा के साथ संलग्न उक्त तरमीम के नक्शे को प्रार्थीगण द्वारा सही मानकर तस्दीक किया गया है। इस प्रकार वाद संख्या 91/2022 उनवान हुक्माराम बनाम किशनाराम व अन्य में विभाजन हेतु आपसी सहमति के नजरी नक्शे परिशिष्ठ—अ के आधार पर की गई तरमीम सही की गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना—पत्र ... आई बेशकीमती जमीन को हड़पने

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.12 20:16:45 IST
Reason: SelfAttested

के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त प्रकरण में कोई वाद हेतुक नहीं होने व न्यायालय श्रीमान का क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर प्रार्थना—पत्र न्यायालय में चलने लायक नहीं है। अंत में उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के निर्णय दिनांक 15.01.2024 के आधार पर की गई तरमीम दुरूस्ती को निरस्त कर उक्त निर्णय दिनांक 15.01.2024 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए दिनांक 26.09.2023 को विभाजन हेतु सहमति के प्रस्ताव/नक्शे के आधार पर तरमीम दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण द्वारा साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—144 के तहत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी का निर्णय दिनांक 15.01.2024 के विरूद्ध अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर में अपील दर्ज की। उक्त अपील संख्या 19/2024 का निर्णय दिनांक 08.05.2024 द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी का निर्णय दिनांक 15.01.2024 को निरस्त कर प्रकरण में पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित करने बाबत् निर्देशित किया है। अतः उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के निर्णय दिनांक 15.01.2024 के आधार पर की गई तरमीम दुरूस्ती को निरस्त कर उक्त निर्णय दिनांक 15.01.2024 से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का निवेदन किया।

जिरह

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—144 के तहत प्रार्थना—पत्र पर बहस के साथ ही मूल प्रार्थना—पत्र के निर्णयन हेतु अंतिम बहस की गई। विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की जिरह सुनी गई। जो कि संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः—

प्रार्थी	अप्रार्थी
सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—144 के तहत प्रार्थना—पत्र पर बहस	
1. उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के निर्णय दिनांक 15.01.2024 के आधार पर की गई तरमीम दुरूस्ती सही की गई है। फिर भी न्यायालय को लगता है तो पुनः जांच करवाकर पुनः तरमीम करवाई जाने पर प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।	1. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी का निर्णय दिनांक 15.01.2024 के विरूद्ध अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर में अपील दर्ज की। उक्त अपील संख्या 19/2024 का निर्णय दिनांक 08.05.2024 द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी का निर्णय दिनांक 15.01.2024 को निरस्त कर प्रकरण में पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित करने बाबत् निर्देशित किया है। अतः उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के निर्णय दिनांक 15.01.2024 के आधार पर की गई तरमीम दुरूस्ती को निरस्त कर उक्त निर्णय दिनांक 15.01.2024 से पूर्व की स्थिति बहाल की

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.12 20:16:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–131 136 पर बहस	
1. माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी में विभाजन हेतु वाद संख्या 91 / 2022 उनवान हुक्माराम बनाम किशनाराम व अन्य में प्रार्थी संख्या 03 व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 के मध्य विभाजन हेतु आपसी सहमति के नजरी नक्शे परिशिष्ठ–अ के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 17.07.2023 की अनुपालना में दर्ज नामांतरकरण संख्या 493 दिनांक 24.07.2023 द्वारा प्रार्थी संख्या 03 को विभाजन पश्चात् आवंटित खसरा संख्या 189 / 139 / 1.2303 है. की तरमीम हाईवे पर 270 फीट लम्बाई में करनी थी तथा शेष हाईवे पर लम्बाई में तरमीम करते हुए अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 को विभाजन पश्चात् आवंटित खसरा 190 / 139 / 0.6151 है. का अमलदरामद किया जाना था। परंतु विभाजन हेतु आपसी सहमति के नजरी नक्शे परिशिष्ठ–अ के आधार पर प्रार्थी संख्या 03 को विभाजन पश्चात् आवंटित खसरा संख्या 189 / 139 / 1.2303 है. की तरमीम हाईवे पर 270 फीट लम्बाई में नहीं कर कम लम्बाई में तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 को हाईवे पर विभाजन हेतु आपसी सहमति के नजरी नक्शे परिशिष्ठ–अ के विपरीत अधिक लम्बाई में तरमीम कर दी।	1. माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी में विभाजन हेतु वाद संख्या 91 / 2022 उनवान हुक्माराम बनाम किशनाराम व अन्य में प्रार्थी संख्या 03 व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 के मध्य विभाजन हेतु आपसी सहमति के नजरी नक्शे परिशिष्ठ–अ के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 17.07.2023 की अनुपालना में दर्ज नामांतरकरण संख्या 493 दिनांक 24.07.2023 को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद सही किया गया है।
2. प्रार्थी द्वारा भूमि का रजिस्टर्ड बयनामा द्वारा क्रय किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में की गई तरमीम मात्र के आधार पर तरमीम में त्रुटि का पता नहीं लगाया जा सकता। तरमीम में त्रुटि का पता रकबा बरारी तथा मौके पर पैमाईश के बाद चलता है। अतः अप्रार्थी का कथन यहां प्रासंगिक नहीं है।	2. उक्त अमलदरामद के पश्चात् दिनांक 24.07.2024 को 02 बेचाननामा के साथ संलग्न उक्त तरमीम के नक्शे को प्रार्थीगण द्वारा सही मानकर तस्दीक किया गया है।
3. अप्रार्थी का कथन निराधार है। प्रार्थी केवल विभाजन हेतु आपसी सहमति के आधार पर विभाजन पश्चात् संयुक्त आराजी में 2 / 3 हिस्से के बाबत् आवंटित खसरा संख्या 189 / 139 / 1.	3. प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र हाईवे पर आई बेशकीमती जमीन को हड़पने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त प्रकरण में कोई वाद हेतुक न होने व न्यायालय श्रीमान का

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.12 20:16:45 IST
Reason: SelfAttested

2303 है. की तरमीम हाईवे पर 270 फीट लम्बाई में करवाने का अनुतोष चाहता है। हाईवे पर उक्त संयुक्त आराजी की कुल लम्बाई 410 फिट थी जिसमें से प्रार्थी के 2/3 हिस्से के मुताबिक ही हाईवे पर 270 फिट तरमीम करवाने का हक व अनुतोष रखता है। प्रार्थी को अपने हिस्से से अधिक अनुतोष नहीं चाहिए।	क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर प्रार्थना—पत्र न्यायालय में चलने लायक नहीं है।
4. वाद संख्या 91/2022 उनवान हुक्माराम बनाम किशनाराम व अन्य में विभाजन हेतु आपसी सहमति के नजरी नक्शे परिशिष्ठ—अ के आधार पर की गई तरमीम सही नहीं की गई है। इसी बाबत् तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है।	4. इस प्रकार वाद संख्या 91/2022 उनवान हुक्माराम बनाम किशनाराम व अन्य में विभाजन हेतु आपसी सहमति के नजरी नक्शे परिशिष्ठ—अ के आधार पर की गई तरमीम सही की गई है।
5. प्रार्थी को विभाजन आदेश से तकलीफ नहीं है। इसलिये विभाजन आदेश की अपील का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रार्थी को विभाजन आदेश की अनुपालना में की गई गलत तरमीम से तकलीफ है। अतः प्रार्थी द्वारा तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है।	5. अगर प्रार्थी को विभाजन आदेश से तकलीफ थी तो प्रार्थी को विभाजन की अपील करनी चाहिए थी। जबकि प्रार्थी द्वारा तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. प्रकरण में खसरा संख्या 193/189 तथा 140/80 तथा खसरा संख्या 192/189 की तरमीम रकबा बरारी अनुसार पुनः किये जाने से प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।	6. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर खसरा संख्या 193/189 तथा 140/80 की तरमीम की चौड़ाई की तरमीम संकड़ी करवाकर लम्बाई बढा दी गई। जिससे खसरा संख्या 192/189 की तरफ उक्त दोनों खसरों की तरमीम लम्बाई में बढने के पश्चात् उक्त खसरों की सीमा से 270 फिट हाईवे पर पैमाईश गलत आने से प्रार्थीगण को हाईवे पर अधिक भूमि प्राप्त होती है।
7. विभाजन प्रस्ताव में अंकित नजरी नक्शे पैमाने के अनुसार तैयार नहीं किये जाते हैं। उक्त नजरी नक्शे अनुमान के अनुसार तैयार किये जाते हैं। किसी विभाजन प्रस्ताव में अंकित नक्शे की अक्षरशः तरमीम किये जाने के विपरीत राजस्व नक्शे में पैमाने के अनुसार तरमीम की जाती है। तरमीम में त्रुटि का पता रकबा बरारी तथा मौके पर पैमाईश के बाद चलता है।	7. अप्रार्थीगण की आराजी के खसरा संख्या 190/139 की तरमीम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा विभाजन हेतु वाद संख्या 91/2022 उनवान हुक्माराम बनाम किशनाराम में पारित निर्णय दिनांक 17.07.2023 में प्रस्तुत सहमति के विभाजन प्रस्ताव में अंकित हरे रंग के आयताकार रकबे अनुसार ही तरमीम रखी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.12 20:16:45 IST
Reason: SelfAttested

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–144 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के निर्णय दिनांक 15.01.2024 के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर में अपील दर्ज की। उक्त अपील संख्या 19 / 2024 का निर्णय दिनांक 08.05.2024 द्वारा करते हुए माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी का निर्णय दिनांक 15.01.2024 को निरस्त कर प्रकरण में पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित करने बाबत् निर्देशित किया है। अतः उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के निर्णय दिनांक 15.01.2024 के आधार पर की गई तरमीम दुरूस्ती को निरस्त कर उक्त निर्णय दिनांक 15.01.2024 से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा बाबत् सहमति जाहिर करते हुए विभाजन हेतु आपसी सहमति के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 17.07.2023 के आधार पर पुनः तरमीम कायम करने का निवेदन किया है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–144 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण में अंतिम रूप से निर्णयन हेतु विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

6. तत्पश्चात् प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व उभयपक्षों की बहस के मनन के बाद उभयपक्षों के मध्य निम्न बिन्दुओं पर विवाद प्रतीत होता हैः–

विवाद संख्या	विवरण
01	माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी में विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद संख्या 91 / 2022 उनवान हुक्माराम बनाम किशनाराम व अन्य में प्रार्थी संख्या 03 व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 के मध्य विभाजन प्रस्ताव पर आपसी सहमति के नजरी नक्शे परिशिष्ठ–अ के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 17.07.2023 की अनुपालना में दर्ज नामांतरकरण संख्या 493 दिनांक 24.07.2023 द्वारा की गई तरमीम का अंकन को लेकर विवाद।
02	माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी में विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद संख्या 91 / 2022 उनवान हुक्माराम बनाम किशनाराम व अन्य में प्रार्थी संख्या 03 व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 के मध्य विभाजन प्रस्ताव पर हाईवे पर दोनों पक्षों के मध्य अपनी–अपनी खातेदारी आराजी की लम्बाई को लेकर विवाद।
03	प्रकरण में खसरा संख्या 193 / 189 तथा 140 / 80 की तरमीम के साथ खसरा संख्या 192 / 189 की तरमीम को लेकर विवाद।

7. प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व उभयपक्षों की बहस के मनन के बाद उभयपक्षों के मध्य विवाद का विश्लेषण निम्न प्रकार हैः–

विवाद संख्या	विश्लेषण
01	प्रकरण में माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी में विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद संख्या 91 / 2022 उनवान हुक्माराम बनाम किशनाराम व अन्य में प्रार्थी संख्या 03 व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 के मध्य विभाजन प्रस्ताव पर आपसी [illegible] प्रस्ताव के नजरी नक्शे परिशिष्ठ–अ के ऊपर दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं है। दोनों पक्ष इस बात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.12 20:16:45 IST
Reason: SelfAttested

	सहमत हैं कि प्रार्थी को हाईवे पर 270 फिट लम्बाई में आराजी भूमि की तरमीम होनी चाहिए। आराजी खसरा संख्या 140/80 तथा 80/2 वाके ग्राम तेजियावास एवं खसरा संख्या 192/189 की सीमा से 270 फिट की लम्बाई खसरा संख्या 190/139 की तरफ नापने पर दोनों पक्ष सहमत हैं। यहां विवाद केवल आराजी खसरा संख्या 140/80 तथा 80/2 वाके ग्राम तेजियावास एवं खसरा संख्या 192/189 की सीमा के निर्धारण को लेकर है। उक्त आराजी खसरा संख्या 140/80 तथा 80/2 वाके ग्राम तेजियावास एवं खसरा संख्या 192/189 की सीमा के पश्चात् ही 270 फिट लम्बाई की तरमीम के अंकन को लेकर विवाद है। उक्त विवाद का समाधान विवाद संख्या 03 में निहित विवाद के समाधान के पश्चात् आराजी खसरा संख्या 140/80 तथा 80/2 वाके ग्राम तेजियावास एवं खसरा संख्या 192/189 की सीमा के मौके पर निर्धारण के पश्चात् पैमाईश के बाद विवाद का समाधान हो जाना प्रतीत होता है।
02	1. प्रकरण में इस विवाद का समाधान उभयपक्षों की संयुक्त आराजी में निहित है। प्रार्थी का कथन है कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 139/80/1.8454 है. वाके ग्राम तेजियावास की मेगा हाईवे पर लम्बाई 410 फिट थी। चूंकि प्रार्थी का संयुक्त आराजी में 2/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी का 1/3 हिस्सा था। इस प्रकार संयुक्त आराजी खसरा संख्या 139/80/1.8454 है. वाके ग्राम तेजियावास की मेगा हाईवे पर लम्बाई 410 फिट में से 2/3 हिस्से मुताबिक 273 फिट भूमि प्रार्थीगण की हाईवे पर बनती है। जबकि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 139/80/1.8454 है. वाके ग्राम तेजियावास की मेगा हाईवे पर लम्बाई 410 फिट में से 1/3 हिस्से मुताबिक 137 फिट भूमि अप्रार्थीगण की हाईवे पर बनती है। इसी अनुरूप प्रार्थी को 270 फिट तथा अप्रार्थी को 140 फिट लम्बाई जमीन हाईवे पर देते हुए सहमति का विभाजन प्रस्ताव का नजरी नक्शे परिशिष्ठ—अ न्यायालय में प्रस्तुत कर विभाजन करवाया गया। 2. अप्रार्थी का कथन है कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 139/80/1.8454 है. वाके ग्राम तेजियावास की मेगा हाईवे पर कुल लम्बाई में से प्रार्थी को 270 फिट तथा अप्रार्थी को करीब 222 फिट लम्बाई जमीन हाईवे पर देते हुए सहमति का विभाजन प्रस्ताव का नजरी नक्शे परिशिष्ठ—अ न्यायालय में प्रस्तुत कर विभाजन करवाया गया। इस प्रकार संयुक्त आराजी खसरा संख्या 139/80/1.8454 है. वाके ग्राम तेजियावास की मेगा हाईवे पर कुल लम्बाई का निर्धारण विभाजन से पूर्व मूल खसरे की रकबा बरारी करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार संयुक्त आराजी खसरा संख्या 139/80/1.8454 है. वाके ग्राम तेजियावास की मेगा हाईवे पर कुल लम्बाई का निर्धारण होने के पश्चात् प्रार्थी को आराजी खसरा संख्या 140/80 तथा 80/2 वाके ग्राम तेजियावास से 270 फिट लम्बाई में खसरा संख्या 192/189 की तरफ सीमा की तरमीम के अंकन से विवाद का समाधान हो जाना प्रतीत होता है।
03	प्रकरण में खसरा संख्या 193/189 तथा 140/80 व खसरा संख्या 80/2 वाके ग्राम तेजियावास की तरमीम के साथ खसरा संख्या 192/189 की तरमीम को लेकर अप्रार्थी का कथन है कि खसरा संख्या 193/189 तथा 140/80 व खसरा संख्या 80/2 वाके ग्राम तेजियावास की तरमीम के साथ खसरा संख्या 192/189 की राजस्व कार्मिकों द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.12 20:16:45 IST
Reason: SelfAttested

	गलत तरमीम की गई है। इस वजह से प्रार्थी की हाईवे पर 270 फिट लम्बाई का अंकन गलत आता है। इसके समाधान के लिये उक्त खसरा संख्या 193/189 तथा 140/80 व खसरा संख्या 80/2 वाके ग्राम तेजियावास की तरमीम के साथ खसरा संख्या 192/189 की तरमीम को लेकर अप्रार्थी का कथन है कि खसरा संख्या 193/189 तथा 140/80 तथा 80/2 की तरमीम की जांच के लिये उक्त सभी खसरों के मूल खसरों या वर्ष 2018 के समय के उक्त सभी खसरों के नक्शे से तरमीम की जांच पश्चात् तरमीम का अंकन गलत पाए जाने पर तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी के इस कथन पर प्रार्थी ने सहमति प्रदान की।

निष्कर्ष

8. इस प्रकार प्रकरण में **सर्वप्रथम** खसरा संख्या 193/189 तथा 140/80 की तरमीम के साथ खसरा संख्या 192/189 तथा 80/2 की तरमीम की जांच के लिये उक्त सभी खसरों के मूल खसरों या वर्ष 2018 के समय के उक्त सभी खसरों के नक्शे से तरमीम की जांच पश्चात् तरमीम का अंकन गलत पाए जाने पर नियमानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। तत्पश्चात् **द्वितीय चरण** में संयुक्त आराजी खसरा संख्या 139/80/1.8454 है. वाके ग्राम तेजियावास की मेगा हाईवे पर कुल लम्बाई का निर्धारण विभाजन से पूर्व मूल खसरे की रकबा बरारी करते हुए संयुक्त आराजी खसरा संख्या 139/80/1.8454 है. वाके ग्राम तेजियावास की मेगा हाईवे पर कुल लम्बाई का निर्धारण होने के पश्चात् प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 140/80 तथा 80/2 वाके ग्राम तेजियावास की सीमा से 270 फिट लम्बाई में खसरा संख्या 192/189 की तरफ सीमा की तरमीम के अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। **तृतीय चरण में** आवश्यक होने पर प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी की रकबा बरारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 91/2022 उनवान हुक्माराम बनाम कृष्णराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2023 के साथ संलग्न उभयपक्षकारों की सहमति युक्त नजरी नक्शा परिशिष्ट—अ के अनुसार तरमीम दुरूस्ती व रकबा बरारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 08 के निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि बिन्दु संख्या 08 के निर्देशों के तहत प्रथम व द्वितीय चरण की प्रक्रिया करते हुए गलत तरमीम की जांच करते हुए आवश्यक पाए जाने पर प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी की रकबा बरारी करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 91/2022 उनवान हुक्माराम बनाम कृष्णराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2023 के साथ संलग्न उभयपक्षकारों की सहमति युक्त नजरी नक्शा परिशिष्ट—अ के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश किये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.12 20:16:45 IST
Reason: SelfAttested

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 12.08.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.12 20:16:45 IST
Reason: SelfAttested